

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: 6(1)चिस्वा/2/2024/वाई-23932

जयपुर, दिनांक:

:-आदेश:-

डॉ० योगेश चौधरी, उप निदेशक (वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन), राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50(1) के तहत दिनांक 09.02.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्वारा स्वीकृत की जाती है।

डॉ० योगेश चौधरी के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16/17 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामकिशोर मीणा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर।
4. डॉ० योगेश चौधरी उप निदेशक (वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन), राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref
5467235

Document certified by RAMKISHORE MEENA
<MEDICALDEPARTMENTGROUP2@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Ramkishor
Meena
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date :01-02-2024 09:09:59